संख्या-46/2016/1623/52-3-2016-बजट(12)/2015

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0
□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 7 □□, 2016

विषयः-केन्द्र पुरोनिधनित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लाॅट सं0-1506 मंे आच्छादित मदरसों में पुस्तकालय की स्थापना हेतु पुस्तकों तथा साइंस व मैथ किट्स की आपूर्ति हेतु संस्था नामित किये जाने के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-610/□0□0□0□□0/□□0□□0□□0/2015, दिनांक 23.05.2016 □□ सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त केन्द्र पुरोनिधानित □□□□□/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत 1506 मदरसों की लाॅट से आच्छादित मदरसों जिसके लिये भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है में आधुनिक विषयों में शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु संाइस किट, मेथ किट के क्रय, पुस्तकालय की स्थापना हेतु सामग्री व फर्नीचर आदि पूर्व प्रक्रियानुसार **"उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम"** से क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस निमित्त शासन स्तर पर पूर्व में गठित समिति द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूलों में प्रयोग की जा रही सामग्री व पुस्तकों में से मदरसों में कक्षा के अनुसार आवश्यक/उपयोगी सामग्री/पुस्तकों का चयन विगत वर्षो में किया जा चुका है। उक्त सामग्री केन्द्रीय स्तर पर क्रय किये जाने हेतु निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, □0प्र0 लखनऊ द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष सामग्री के क्रय हेतु आपूर्ति आदेश जनपदो के मदरसो की सूची जिसमें सामग्री आपूर्ति की जानी है, सहित उ0प्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की मुख्य शाखा को उपलब्ध करायेंगे। □0प्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की मुख्य शाखा उक्त आपूर्ति आदेशो के सापेक्ष संबंधित जनपदो के जिलाधिकारियों की देख-रेख में संबंधित जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से जनपदों के मदरसो को सामग्री की आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके लिये उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को भाड़े इत्यादि के रूप में अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी। जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे सामग्री की गुणवत्ता का सत्यापन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से कराकर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक तीन माह पर शासन को उपलब्ध करायें।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जा रही रू0 50,000/- प्रति मदरसे की धनराशि में से एक धनराशि निश्चित कर उसके सापेक्ष मदरसों में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में प्रकाशित होने वाली पत्र-पत्रिकायें (प्रतियोगिता दर्पण, परीक्षा मंथन, कम्पीटीशन सक्सेश रिव्यू, योजना कुरूक्षेत्र, रं□□□-समाचार आदि) का क्रय भी किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उक्त आदेशांे का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। ताकि योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-1623(1)/52-3-16 तद्दिनंाक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0□
2- समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0□
3- □□□□□, □0प्र राज्य कर्मचारी कल्याण निगम जवाहर भवन लखनऊ।
4- □□□□□, □□□□□, □□□□ □□□, □□□□□
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) □□□□-11
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- □□ □□□□□ इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः □स पर हस्ताक्षर की आवश्य□□ नहीं □□

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।